



**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BENGALURU - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं. 1751 /Type Approval No. 1751**

**मद/ FOR ITEM :** एचजेटी-36 हेतु वीओआर/आईएलएस/एमकेआर रिसीवर एएनएस2810ए और माउंटिंग ट्रे पार्ट सं. एन149051, एन149069  
**VOR/ILS/MKR Receiver ANS2810A & Mounting Tray Part Nos. N149051, N149069 for HJT – 36**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, एसएलआरडीसी, एवियोनिक्स प्रभाग, बालानगर, हैदराबाद-500 042 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित “वीओआर/आईएलएस/ एमकेआर रिसीवर यूनिट एएनएस2810ए और माउंटिंग ट्रे ” पार्ट सं. क्रमशः एन149051 और एन149069 को मास्टर ड्राइंग इंडेक्स सं. 1490510डीएल, इश्यू 007, दिनांक 25 फरवरी 2011 और 149069डीएल, इश्यू 005, दिनांक 13 अप्रैल 2011 के अनुसार एचजेटी-36 वायुयान में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आर.सी.एम.ए (हैदराबाद) के समन्वय से नियंत्रक तकनीकी विनिर्देश दस्तावेज सं. एसएलआरडीसी (सीओएमएम)/एएनएस2810ए/टीएस, इश्यू सं.002, दिनांक 11 मार्च 2010 और टेस्ट शेड्यूल सं. एसएलआरडीसी(सीओएमएम)/एचजेटी/एएनएस2810ए/क्यूटी इश्यू: 001, दिनांक 05 फरवरी 2009 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

*This is to certify that the “VOR/ILS/MKR Receiver Unit ANS2810A and Mounting Tray” bearing Part No. : N149051 & N149069, respectively designed, developed & manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, SLRDC, Avionics Division, Balanagar, Hyderabad – 500 042, is hereby approved for production as per Master Drawing Index No.: 149051DL, Issue: 007, dated 25<sup>th</sup> Feb 2011 & 149069DL, Issue:005, dated:13<sup>th</sup> Apr 2011 for use on HJT – 36 aircraft. It has been tested in co-ordination with “RCMA (HYD)”, as per Governing Technical Specification Doc No.: SLRDC (COMM)/ANS2810A/TS, Issue No.:002, dated: 11th Mar 2010 & Test Schedule Doc No.: SLRD (COMM)/HJT/ANS2810A/QT, Issue: 001 dated: 5<sup>th</sup> Feb 2009. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix ‘A’.*

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सुपरसीड होती है । इसके उत्पादन के लिए अपनाई गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है । उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए ।

*The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superseded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन निलंबित या रद्द न होने पर **30 जून 2018** तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाये और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संगत दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हैदराबाद), हैदराबाद - 500 042 से अनुरोध करना होगा ।

*This Type Approval is valid up to 30<sup>th</sup> June 2018 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (HYD), Hderabad – 500 042 for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.*

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलेक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

*Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes if any, in the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.*

5 यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष के क्लियरेंस निकासी एवं दर्शायी गई विधि के स्पष्ट रूप से कड़े अनुपालन पर आधारित है ।

*This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट-‘ए’/Appendix-‘A’

सं/No.: सेमिलेक /CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1751

दिनांक/Date : 25 Apr 2013

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856

25/04/13

(डॉ.के.तमिलमणि/ Dr. K.TAMILMANI)

विशिष्ट वैज्ञानिक-सीसी आर एण्ड डी (एरो)/DS -COR&D (Aero)

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)

Chief Executive (Airworthiness)